न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष एस.एस.अली

सदस्य

अपील प्रकरण क्रमांक 0412/2019/शिवपुरी/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 31.07.2018 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 43/2016–17/अ–21/अपील

1– लछुआ पुत्र श्री जबरी आदिवासी,
निवासी – भगवंतपुरा, तहसील पिछौर,
जिला – शिवपुरी (म0प्र0)

2– चम्पालाल पुत्र श्री निरपत आदिवासी,
निवासी – जालमपुर मजरा शिवनगर,
तहसील खनियाधाना, जिला शिवपुरी (म0प्र0)

—— अपीलार्थीगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला शिवपुरी म.प्र.

—— प्रत्यर्थी

श्री के.के. द्विवेदी, श्री धमेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक अपीलार्थीगण

श्री मुकेश शर्मा, शासकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

आदेश

(आज दिनांक 18/4/19)

यह अपील अपीलार्थी द्वारा कलेक्टर, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 43/20·.–17 में पारित आदेश दिनांक 31.07.2018 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 44 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2— प्रकरण का सारांश यह है कि विचारण न्यायालय कलेक्टर, जिला शिवपुरी के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा एक आवेदन पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी क्रमांक 1 भूमि सर्वे नम्बर 533 रकवा 0.94 हैक्टेयर में से 1/4 भाग एवं अपीलार्थी क्रमांक 2 भूमि सर्वे नम्बर 508, 575 रकवा 0.40 हैक्टेयर में से 1/3 भाग का भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी हैं। उपरोक्त भूमि में से वह अपने—अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का विक्र.. करना चाहते है, अतः विक्रय की अनुमति दी जाये। कलेक्टर, जिला शिवपुरी द्वारा उक्त आवेदन पत्र को दिनांक 31.07. 2018 से निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी हैं।

3— अपील मैमो में उठाये गये बिन्दुओ पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का विधिवत अवलोकन किया गया।

4— अपीलार्थी अभिभाषक ने तर्को में बताया कि विचारण न्यायालय द्वारा विक्रय अनुमति का आवेदन पत्र बिना की प्रर्याप्त कारण से निरस्त किया है, जबकि अपीलार्थीगण की ओर से उक्त विक्रय किये जाने के संबंध में सद्भाविक कारण दिये गये थे, इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेख किया था कि अपीलार्थी क्रमांक 1 अपने हिस्से की भूमि 1/4 का सम्पूर्ण भाग एवं अपीलार्थी क्रमांक 2 अपने हिस्से की भूमि का 1/3 सम्पूर्ण भूमि भूमि का विक्रय करना चाहते है। उक्त विक्रय पत्र किये जाने से उनके पास प्रर्याप्त भूमि शेष बचेगी, जिससे उनका भरण—पोषण विधिवत रूप से हो सकेगा तथा वह भूमिहीन नहीं होगें। उपरोक्त वैधानिक बिन्दुओं पर विधिवत विचार किए बिना कलेक्टर, जिला शिवपुरी द्वारा अपीलार्थीगण का आवेदन पत्र को निरस्त किया गया है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि—विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने

से अपास्त कि‌ए जाने योगय है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण को भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान की जाये।

5— प्रत्यर्थी की ओर से शासकीय अभिभाषक उपस्थित उनके द्वारा अपने तर्कों में यह बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान प्रकरण में जो आदेश पारित किये हैं, वह विधिवत् एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

6— अभिभाषक द्वारा किये गये तर्कों एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों से अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण द्वारा ग्राम जालमपुर प.ह.नं.19, तहसील खनियाधाना में स्थित भूमि सर्वे नम्बर 533 रकवा 0.94 हैक्टेयर में से 1/4 भाग रकवा 0.23 हैक्टेयर अपीलार्थी क्रमांक 1 एवं सर्वे नम्बर 508, 575 रकवा 0.40 हैक्टेयर में से अपीलार्थी क्रमांक 2 का हिस्सा 1/3 भाग का रकवा 0.13 हैक्टेयर इस प्रकार दोनों का कुल रकवा 0.36 हैक्टेयर के भूमिस्वामी है। उपरोक्त भूमि में से कुल रकवा 0.36 हैक्टेयर भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति मांगी गयी है। इस संबंध में तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत जॉच कर अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं, इसके अतिरिक्त देखना यह है कि अपीलार्थीगण को भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति दिये जाने के पश्चात् उसके पास भूमि शेष बचेगी अथवा नहीं। इस प्रकरण में अपीलार्थीगण के पास भूमि सर्वे नम्बर 533 रकवा 0.94 हैक्टेयर में से 1/4 भाग का सम्पूर्ण रकवा 0.235 हैक्टेयर एवं सर्वे नम्बर 508, 575 रकवा 0.40 हैक्टेयर में से हिस्सा 1/3 भाग का सम्पूर्ण रकवा 0.133 हैक्टेयर का अपीलार्थीगण भूमिस्वामी है। उसमें से वह केवल 0.368 हैक्टेयर भूमि विकय किये जाने की अनुमति चाहते है। इसके पश्चात् अपीलार्थीगण पर प्रर्याप्त भूमि शेष बचेगी, जिससे उसका जीवनयापन विधिवत रूप से हो सकेगा तथा वह भूमिहीन नहीं होगे। उपरोक्त व्यवहारिक बिन्दु पर विचार किये बिना जो आदेश कलेक्टर,

जिला शिवपुरी द्वारा पारित किया गया है, विधिवत नहीं है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त आदेश निरस्त किया जाता हैं।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर कलेक्टर, जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 43/2016–17/अ–21 में पारित आदेश दिनांक 31.07.2018 त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं अपीलार्थी क्रमांक 1 को भूमि सर्वे नम्बर 533 रकवा 0.94 हैक्टेयर में से 1/4 भाग का रकवा 0.235 हैक्टेयर एवं अपीलार्थी क्रमांक 2 को भूमि सर्वे नम्बर 508, 575 रकवा 0.40 हैक्टेयर में से हिस्सा 1/3 भाग का रकवा 0.133 हैक्टेयर, भूमि स्थित ग्राम जालमपुर, पं.ह.नं.19, तहसील खनियाधाना, जिला शिवपुरी की सम्पूर्ण भूमि रकवा 0.368 हैक्टेयर के विक्रय की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उप–पंजीयक विक्रयपत्र सम्पादित करते समय सुनिश्चित करेंगें कि अग्रिम प्राप्त धन समायोजन के उपरांत समस्त विक्रय धन विक्रेता को क्रेता द्वारा बैंकिग पद्धति से प्रदान कर दिया गया है।

(एम.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर